कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

जनवरी 2022 अंक-02, वर्ष-02 (मासिक)

लैम्पस, पैक्स के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय योजना का शुभारंभ

माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, श्री रामेश्वर उरांव, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, श्री बादल एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, नामकुम लैम्पस, नामकुम, राँची में धान क्रय योजना का शुभारंभ करते हुए।

घाटशिला के माननीय विधायक श्री रामदास सोरेन केन्दाडीह लैम्पस, घाटशिला में योजना को आरंभ करते हुए।

15 दिसंबर 2021 को राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव एवं कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल द्वारा नामकुम लैम्पस, नामकुम, रांची से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय योजना का शुभारंभ किया गया।

पंजीकृत किसानों से ही खरीदारी

सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पंजीकृत किसानों से लैम्पस – पैक्स एवं एफ0पी0ओ के माध्यम से सीधे धान का क्रय किया जा रहा है तथा उनके धान के मूल्य का भुगतान भी सीधे उनके खाते में किया जायेगा।

80 लाख क्विंटल धान कय का लक्ष्य

राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य बढ़ा कर 80 लाख क्विंटल कर दिया है। खरीफ के पिछले फसल चक में राज्य सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया था जिसके विरुद्ध 103 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल करते हुए 62 लाख क्विंटल धान की खरीदारी हुई

एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल धान दे सकेगा

ज्यादा से ज्यादा छोटे एवं मंझोले किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय का लाभ प्राप्त हो सके इसको ध्यान में रखते हुए एक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की ही खरीदारी की जायेगी।

50 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान

किसानों को उनके धान की कीमत की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान धान खरीदते वक्त ही कर दिया जायेगा तथा शेष पचास प्रतिशत की राशि तीन महीने के अंदर उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1.	साधारण धान	1940 रु. प्रति क्विंटल	110 रु. बोनस प्रति क्विंटल
2.	ग्रेड 'A' धान	1960 रु. प्रति क्विंटल	110 रु. बोनस प्रति क्विंटल

सहकार से समृद्धि–सह– कार्यशाला–सह–लोकार्पण कार्यक्रम कैमरे की नजर में

दिनांक 9 दिसंबर, 2021 को पशुपालन सह सहकारिता भवन के तृतीय तल स्थित निबंधक सहयोग समितियां के कार्यालय सभागार में एक दिवसीय सहकार से समृद्धि–सह–कार्यशाला–सह–लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सहकारिता विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी तथा चयनित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल, विशिष्ट अतिथि, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी0 के अलावा निबंधक, सहयोग समितियां श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, क्षेत्रीय निदेशक, एन0सी0डी0सी, श्री सिद्धार्थ कुमार निम तथा पशुपालन निदेशक श्री शशि प्रकाश झा मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में सहकारिता प्रभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका "सहकार–संवाद" के प्रवेशांक का लोकार्पण, ब्राह्मणडीहा पैक्स लि0 तोपचांची, धनबाद, नामकुम लैम्पस लि0, नामकुम, रांची तथा चेतना महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि0 बोकारो को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्टता एवं मेरिट पुरस्कार–2021 से सम्मानित, लैम्पस/ पैक्सों व्यापार मण्डलों को दो – दो लाख रुपये की कार्यशील पूंजी प्रदान करने पर निर्मित लघु फिल्म का लोकार्पण एवं पांच सहकारी समितियों के खाते में डी0बी0टी के माध्यम से राशि का हस्तांतरण तथा श्री संजय कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा संकलित पुस्तक "A Comprehensive Manual on Jharkhand Cooperative Societies" का लोकार्पण किया गया तथा उन्हें सम्मानित किया गया।

माननीय मंत्री श्री बादल, सचिव श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी0, निबंधक, सहयोग समितियां श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल एवं अन्य अतिथिगण कार्यकम का शुभारंभ करते हुए।

कार्यकम में उपस्थित पदाधिकारीगण

सहकार – संवाद का लोकापर्ण

समितियों को कार्यशील पूंजी का वितरण

A Comprehensive Manual on Jharkhand Cooperative Societies पुस्तक का विमोचन

"A Comprehensive Manual on Jharkhand Cooperative Societies" पुस्तक के संकलनकर्त्ता श्री संजय कुमार को सम्मानित करते हुए

चेतना महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लि0 बोकारो को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्टता एवं मेरिट पुरस्कार–2021 से सम्मानित करते हुए

माननीय मंत्री का स्वागत करते हुए निबंधक

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री श्री बादल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागीय सचिव श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी.

निबंधक सहयोग समितियाँ, श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल का संबोधन

मृत्युंजय कुमार बरणवाल
भा.प्र.से.

निबंधक
सहयोग समितियाँ
झारखण्ड, राँची

पशुपालन भवन, तृतीय तल
हेसाग, हटिया, राँची – 834003
(झारखण्ड)
दूरभाष : 0651–2290444 (का.)
0651–3510363
email : jharkhand.coopregistrar@gmail.com

निबंधक की कलम से

आज के इस बदलते डिजिटल दौर में नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं यथा आवासीय, आय, जाति प्रमाण पत्र, पेन्शन, आधार अपडेट, ई–आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, बिल पेमेन्ट, अन्य ई सेवाएं आदि–आदि आसानी से उपलब्ध हो सके इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है।

राज्य के सभी पंचायतें सहकारी समितियों से आच्छादित हैं तथा पंचायतों के अधिकांश कृषक मजदूर भाई इन सहकारी समितियों के सदस्य हैं। इन सब बातों में हमें प्रेरित किया कि पंचायतों में कार्यरत पैक्स/ लैम्पस, व्यापार मंडल आदि को अपने क्षेत्र के लोगों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाया जाय।

एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए सभी लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मंडलों को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों, उपलब्ध संसाधनों आदि के आधार पर उनका A, B, C तथा D में वर्गीकरण कराया गया। बहुत सी समितियों को पूर्व में कम्प्यूटर सेट आदि उपलब्ध कराये गये थे, उसके अलावा जिन अन्य 403 समितियों को वर्ष 2021 में नये कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, स्कैनर, यू0पी0एस0 उपलब्ध कराये गये हैं उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केन्द्र) के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया गया तथा इस वित्तीय वर्ष में 450 लैम्पस/ पैक्स तथा व्यापार मंडलों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

मुझे बहुत खुशी है कि विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं सी०एस०सी की टीम के सहयोग से राज्य के लैम्पस/पैक्स/ व्यापार मंडलों ने बेहतर कार्य करते हुए अपनी पंचायतों एवं उसके आस–पास के निवासियों को डिजिटल सेवा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है।

वर्तमान में राज्य की 532 सहकारी समितियां कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में निबंधित होकर कार्य प्रारंभ कर चुकी है तथा क्षेत्र के लोगों के बीच अपनी सुलभ एवं बेहतर पहुंच के कारण इतनी अल्पावधि में ही 2.5 करोड़ रूपयों से उपर का कार्य कर चुकी हैं।

लैम्पस/ पैक्स तथा व्यापार मंडल एवं अन्य सभी प्रकार की सहकारी समितियों का संचालन एवं नेतृत्व उसके सदस्यों में से चुन कर आये उनके प्रतिनिधि ही करते हैं। राज्य के सभी पंचायतों के निवासी सदस्य के रूप में अथवा अन्य किसी न किसी रुप में लैम्पस/पैक्स तथा व्यापार मंडलों से जुड़े रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक पंचायत तक उस पंचायत के निवासियों के माध्यम से वहां के लैम्पस/पैक्स तथा व्यापार मंडल सभी प्रकार की उपलब्ध ई–सेवाएं, डिजिटल सेवाओं आदि उपलब्ध कराने में सक्षम हों। सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों/ मजदूरों आदि को ना सिर्फ कृषि आधारित सेवाएं ही उपलब्ध कराकर उन्हे आत्म निर्भर बनाये जाने का कार्य किया जाए, बल्कि उन्हें डिजिटल तकनीक सेवाओं के माध्यम से झार सेवाएं, आधार सेवाएं, मतदाता संवाएं, बिल पेमेन्ट, स्वास्थ्य सेवाएं, ई–बाजार, ई–कामर्स, रेल/हवाई टिकट बुकिंग एवं अन्य सरकारी सेवाएं भी उपलब्ध करायी जाए।

शुभकामनाओं सहित

मृत्युंजय कुमार बरणवाल (भा.प्र.से.)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

किसानों को सबल बनाता धनबाद का राजगंज पैक्स

धनबाद जिला के बाघमारा प्रखण्ड स्थित राजगंज पैक्स लि0 का निबंधन सहकारिता अधिनियम 1935 के तहत 19.10.1978 को हुआ। अपने निबंधन के बाद से ही राजगंज पैक्स की कार्यकारिणी और उसके सदस्यों ने अपने क्षेत्र के कृषकों को आर्थिक रुप से सबल बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था और आज की तिथि में राजगंज पैक्स उर्वरक–बीज व्यवसाय, जमावृद्धि योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति सहित अपने सदस्य कृषकों के हित वाले लगभग सभी कार्य कर रही है।

- वर्ष 2011 में सहकरिता विभाग के पदाधिकारियों एवं जिला के सभी पैक्स अध्यक्षों के द्वारा उर्वरक एवं बीज व्यवसाय हेतु राजगंज पैक्स का चयन नोडल पैक्स के रूप में किया गया। समिति की वर्त्मान कार्यकारिणी एवं पूर्व पैक्स अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद के सतत् प्रयास से पूरे जिला के लिए आंवटित उर्वरक एवं बीज का व्यवसाय करने वाले जिले के अन्य पैक्सों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उर्वरक एवं बीज आदि के वितरण का कार्य किया जा रहा है।
- किसानों एवं मजदूरों को बचत की उपयोगिता एवं महत्व को समझा कर उनमें लधु बचत की आदत डालते हुए राजगंज पैक्स में जमावृद्धि योजना को प्रारंभ किया गया।
- समिति में 15400 बचत खाते, 1350 लघु बचत खाते, 170 आवर्ती संचित खाते (रेकरिंग एकाउन्ट), 3200 फिक्स्ड डिपॉजिट खाते संचालित हैं। जमावृद्धि योजना अन्तर्गत 480 सदस्य किसानों के बीच लगभग 5.00 करोड़ रूपयों का ऋण वितरण किया गया हैं। समिति का जमावृद्धि योजना अन्तर्गत वर्ष 2021 तक 35,00,00,000/– (35 करोड़ रू0) टर्न ओभर रहा है।
- वर्ष 2021 में पैक्स के द्वारा 120.725 एम०टी० (खरीफ 2021) उर्वरक तथा 1912.00 क्विटंल (खरीफ 2020–21) बीज का व्यवसाय किया गया।
- धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम के तहत पैक्स के द्वारा 9162. 88 क्विटंल (वर्ष 2020–21) में किसानों का धान खरीद कर सदस्यों सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का कार्य किया गया,
- धान अधिप्राप्ति में उल्लेखनीय कार्यों के लिये राजगंज पैक्स को धनबाद जिले के श्रेष्ठ पैक्स के रुप में राज्य स्तर पर माननीय कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल के आयुक्त द्वारा समिति को सम्मानित किया गया।

वर्तमान समय में राजगंज पैक्स लि0 की पहली महिला अध्यक्षा श्रीमति वन्दना देवी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है तथा अपने 685 सदस्यों के साथ क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभा रही है।

माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, समिति को पुरस्कृत करते हुए

" एक साथ आना शुरूआत है, एक साथ रहना उन्नति है और एक साथ काम करना सफलता है। "

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिकरण (Tribunal), राँची

झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत निबंधित स्वावलंबी सहकारी समितियों में उत्पन्न विवादों के निपटारा के लिए "झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समितियाँ अधिकरण'' का गठन किया गया। अधिकरण में एक अध्यक्ष का प्रावधान है जो कि न्यायिक सेवा के सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अन्यून अथवा सेवानिवृत्त/कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे। अधिकरण में एक सचिव के पद का भी प्रावधान किया गया है जो कि सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ के स्तर से अन्यून राज्य सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी होगें। अधिकरण का पता गव्य विकास निदेशालय (वाएफ) HEC, Sector–2, धुर्वा, राँची–834004 है जहाँ पर अपील एवं आवेदन दाखिल किये जा सकते हैं।

अधिकरण में एक अध्यक्ष का प्रावधान है जो कि न्यायिक सेवा के सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश से अन्यून अथवा सेवानिवृत्त/कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे।

1) अधिकरण में अपील एवं आवेदन दाखिल करने की प्रकियाः

(i) पक्षकार द्वारा स्वयं या किसी अधिकृत अभिकर्ता या अधिवक्ता के माध्यम से या निबंधित डाक अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अधिकरण के सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) अधिवक्ता अथवा अधिकृत अभिकर्ता हेतु उसे नियुक्त/प्राधिकृत किए जाने संबंधी मुहरित प्राधिकार पत्र एवंशपथप्न संलग्न करना होगा।

(iii) आवेदन एक वाद पत्र के रूप में होगा जिसमें संक्षिप्त रूप में मामले का सार एवं आधार दिया रहेगा तथा उसके साथ ऐसे दस्तावेज अथवा कागजात जो मामले को सिद्ध करने हेतु आवश्यक हो की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। प्रत्येक आवेदन के साथ मूल प्रति के अतिरिक्त जितने विरोधी पक्षकार होंगे उतनी अतिरिक्त प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।

(iv) अपील एक ज्ञापन के रूप में होगा जिसमें निर्णय या आदेश, जो अपील का विषय वस्तु है, के विरूद्ध संक्षिप्त रूप में आपत्तियों के आधारों का विवरण दिया रहेगा और इसके साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित निर्णय या आदेश की मूल या सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा। प्रत्येक अपील के जितने प्रतिवादी होंगे उतनी अतिरिक्त ज्ञापन की प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।

(2) अपील या आवेदन हेतु आवश्यक राशि :

(i) आर्थिक विवाद के संदर्भ में दावे का 1% (न्यूनतम 1000 रू0) एवं अधिकतम 5000 रू0।

(ii) गैर आर्थिक निर्वाचन विवाद छोड़ कर अन्य के संदर्भ में 1000 रू0।

(iii) निर्वाचन विवाद के संदर्भ में 2000रू0।

(iv) धारा 5 के अंतर्गत अपील के संदर्भ में 1000 रू0।

(v) धारा 41 के अंतर्गत आवेदन के संदर्भ में 1000 रू0।

(vi) धारा 44 के अंतर्गत अपील के संदर्भ में 1000 रू0।

" यह सहकारिता नहीं, एक परिवार है, यह कोई संस्था नहीं, संस्कार है। "

झारखण्ड राज्य सहकारी लाह क्रय विक्रय एवं आहरण संघ सीमित, (झास्कोलैम्पफ) रांची।

"लाह से लाखपति"

-देवेन्द्र सिंह

झारखंड प्राकृतिक रूप से वन एवं खनिज सम्पदा क्षेत्रों में अग्रणी राज्य है, फलस्वरूप ग्रामीण स्तर पर जीविकोपार्जन की संभावनाऐं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य में वन सम्पदा यथा– लाह, ईमली, चिरौंजी, आंवला, बहेरा, महुआ, साल सीड, कुसुम सीड, करंज एवं अन्य उत्पाद प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण में लाह की भागीदारी प्रमुख है। झारखण्ड राज्य में एक प्रचलित कहावत है – "लाह से लाखपति" जो एक यथार्थ है। राज्य में ऐसे कई लाह कृषक हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में लाह पोषक वृक्ष कुसुम, बेर एवं पलास है और वैज्ञानिक विधि से लाह की खेती करते हैं, वे लाह से लाखपति वाली कहावत चरितार्थ करते हैं।

राज्य के नौ जिलों यथा– रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, सरायकेला–खरसांवा, पश्चिमी सिंहभूम में बहुतायत मात्रा में लाह कृषकों द्वारा लाह खेती की जाती है। झारखंड राज्य में लगभग पांच लाख ग्रामीण विशेषकर जनजातीय परिवार लाह की खेती से जुड़े हुए हैं। लाह की खेती मुख्यतः कुसुम, बेर, पलास एवं सेमियालता वृक्षों में की जाती है। इन वृक्षों पर कुसुमी एवं रंगीनी प्रजाति के लाह कीट का पालन नर्म टहनियों पर किया जाता है।

लाह फसल चक्र निम्नवत हैः–

Strains of Lac	Crop	Weather	Lac Host Plant	Seed Inoculation (कीट संचारण)	Crop Harvesting	Time (In month)
Rangeeni	Katki	Rainy Season	Palas	June-July	October-November	4
	Baisakhi	Summer	Palas	October - Nov	June-July	8
		Summer	Ber	October - Nov	May-June	6
Kusumi	Aghani	Winter	Ber	June-July	Januray-February	6
	Jethwi	Summer	Kusum	January-February	June-July	6

झारखण्ड राज्य में अधिकांश लाह कृषकों द्वारा परम्परागत विधि से लाह की खेती की जाती है जिससे उनके उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है जिसके लिए यह आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा लाह कृषकों को वैज्ञानिक विधि से लाह खेती करने के लिए प्रेरित एवं जागरूक किया जाय। विगत कई वर्षों से झास्कोलैम्पफ एवं भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं संस्थान नामकोम, रांची के संयुक्त प्रयास से राज्य के लाह कृषकों को वैज्ञानिक पद्धति से लाह खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में क्रमशः 500 एवं 300 लाह कृषकों को लाह खेती योजना के तहत वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण, अनुदानित दर पर टूल कीट्स एवं बीहन लाख उपलब्ध कराये गये हैं। लाह कृषकों को उनके

उत्पाद के मूल्य संवर्द्धन का लाभ प्रदान करने हेतु उन्हें लाह परिष्करण कर चौरी, बटन लैक, हैंड मेड चपड़ा, लैक सिलिंग स्टिक उत्पादन करने का प्रशिक्षण एवं मशीन/ टूल कीट्स भी प्रदान किया जा रहा है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत लाह कृषकों से समय समय पर लाह आहरण, बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य रहने की स्थिति में किया जाता है। वर्ष 2020–21 में लाह मूल्य संवर्द्धन उत्पाद सीडलैक को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत जोड़ा गया है जिससे झास्कोलैम्पफ एवं आई0सी0डी0पी0 द्वारा ग्रामीण स्तर पर स्थापित लाह परिष्करण इकाई का संचालन नियमित रूप से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। लाह मूल्य संवर्द्धन का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाह कृषकों को प्राप्त हो सके इसके लिए विभाग द्वारा सिदरौल स्थित लाह कारखाने में (वित्तीय वर्ष 2020–21) लाह मूल्य संवर्द्धन के व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु R&D यूनिट की स्थापना के लिये राशि स्वीकृत है जिसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा।

झास्कोलैम्पफ, भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं संस्थान नामकोम, रांची के तकनीकी सहयोग से राज्य के लाह कृषकों के आर्थिक उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगातार प्रयासरत है तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार की और योजनाओं का लाभ किस प्रकार से राज्य के लाह उत्पादकों को मिल सके इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

(लेखक, झारखण्ड सहकारिता सेवा के वरीय पदाधिकारी हैं तथा वर्तमान में प्रबंध निदेशक, झास्कोलैम्पफ के पद पर कार्यरत हैं)

सहकारी समितियों में निर्वाचन

राज्य में सहकारी समितियों का निबंधन झारखण्ड राज्य सहकारी अधिनियम 1935 एवं झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के तहत होता है। सहकारी समितियों का स्वरूप जनतांत्रिक है तथा प्रबंध समिति का निर्वाचन गुप्त मतदान के माध्यम से सहकारी अधिनियम/नियमावली/उपविधि में वर्णित प्रावधान के तहत होता है।

झारखण्ड सहकारी अधिनियम 1935 के तहत् निबंधित समितियों में निर्वाचन
सहकारी समितियों में निर्वाचन का संचालन करने की शक्ति झारखण्ड सहकारी नियमावली 1959 के तहत नियुक्त संचालन पदाधिकारी में निहित होती है जो निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	समिति का प्रकार	संचालन पदाधिकारी
A.	शीर्ष सोसाईटी/राज्य स्तरीय सोसाईटी	निबंधक, सहयोग समितियाँ या उनके द्वारा प्राधिकृत संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ से अन्यून स्तर के पदाधिकारी
B.	केन्द्रीय सहकारी बैंक/केन्द्रीय सहकारी समिति	जिला पदाधिकारी/उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर से अन्युन पदाधिकारी।
C.	व्यापार मंडल	संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ
D.	प्राथमिक सहकारी समिति	सम्बन्धित अंचल के सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ

- संचालन पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी एवं अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त करते है तथा निर्वाचन कार्यक्रम, समय, तिथि एवम् स्थान के साथ निर्धारित करते है।
- निर्वाचन पदाधिकारी/अनुकल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी से अन्यून स्तर का कोई सरकारी सेवक नियुक्त नहीं होगा।
- निर्वाचन पदाधिकारी के बीमारी अथववा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्वाचन के किसी स्तर पर कार्य कराने योग्य नही होने पर अनुकाल्पिक निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन कार्यक्रम को उस स्तर से आगे संपादित करते है।
- संबंधित समिति द्वारा पूर्ववर्ती सहकारिता वर्ष की अन्तिम तिथि की स्थिति के आधार पर मतदाता सूची मुहर और प्रमाण पत्र के साथ निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची प्रकाशन, मतदाता सूची पर आपत्ति एवं आपत्ति का निष्पादन तत्पश्चात अन्तिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित करते है।
- मतदाता सूची प्रकाशन की तिथि और आपति दाखिल करने की तिथि के बीच कम से कम सात दिन का अन्तर रहना चाहिए।
- अन्तिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशित होने के पश्चात् संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित नामांकन कार्यक्रम के कम–से–कम 15 दिनों के पूर्व मतदाता सूची में अंकित सभी सदस्यों को नामांकन कार्यक्रम की सूचना भेजना रहता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित होने वाला कार्यक्रम :–
(क) नामांकन दाखिल करना। (ख) नामांकन पत्रों की जांच।
(ग) नामांकन की सूची का प्रदर्शन। (घ) नामांकन पर आपति।
(ड) आपति का निष्पादन।
(च) विधिमान्य नामांकन सूची का प्रदर्शन। (छ) नामांकन वापसी।
(ज) वापसी यदि कोई हो, के पश्चात् नामांकन सूची का प्रदर्शन।
(झ) चुनाव चिन्ह का आबंटन।
(ञ) मतदान की तिथि एवं मतगणना, तत्पश्चात् निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना :– वैसी सहकारी समिति जिसका वार्षिक व्यवसाय/लेने–देन गत सहकारी वर्ष में 05 लाख रूपये से अधिक है, वह अपने सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना स्पीड पोस्ट से देगी लेकिन वैसी सहकारी समिति जिसका गत सहकारी वर्ष मे वार्षिक व्यवसाय/लेन–देन 05 लाख रूपये से कम है अपने सदस्यों को निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना ढ़ोल/डुगडुगी पिटवाकर अथवा लाउडस्पीकर से प्रचार कराकर तथा समिति कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालय भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चिपका कर देने का प्रावधान है।

- नामांकन भरते समय अभ्यर्थी द्वारा नामांकन पत्र निवार्चन पदाधिकारी को सम्बोधित करना होता है और विहित प्रपत्र में रहना चाहिए।
- नामांकन पत्र व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है।
- नामांकन का प्रस्तावक तथा समर्थक स्वयं अभ्यर्थी के अतिरिक्त कोई अन्य मतदाता होना चाहिए।
- निर्वाचन पदाधिकारी नामांकन पत्र में नाम या संख्या के सम्बन्ध में किसी लेखन की गलती को शुद्ध करने की अनुमति दे सकता है।
- नामांकन पत्र जांच के समय निर्वाचन पदाधिकारी स्वीकृति/अस्वीकृति के निर्णय को पृष्ठांकित करेगा। अस्वीकृति की अवस्था में कारण लिखना होगा।
- नामांकन वापसी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप में विहित प्रपत्र में निर्वाचन पदाधिकारी को देना होता है।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रबंध समिति के एक से ज्यादा पद के लिए चुना जाता है तो उसे 24 घंटे के अन्दर किसी एक पद से इस्तीफा देना होता है।
- मतपत्र में चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों का नाम हिन्दी में वर्णानुक्रम में अंकित रहना चाहिए एवं उनके नाम के आगे उनको आवंटित चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा।
- प्रत्येक मतदाता के उतने मत होगें जितने पदों को भरने है, किन्तु कोई भी मतदाता एक अभ्यर्थी को एक से अधिक मत नहीं देगा।
- विशेष परिस्थिति यथा विधि व्यवस्था/प्राकृतिक विपदा इत्यादि की स्थिति में मतदान स्थगित किया जा सकता है।
- निर्वाचन सम्बन्धी कोई विवाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से तीस दिनों के अन्दर उठाया जा सकता है और ऐसे विवाद का निबटारा झारखण्ड सहकारी अधिनियम 1935 की धारा 48 के अधीन किया जाएगा।
- झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी अधिनियम 1996 के तहत निबंधित स्वावलंबी सहकारी समितियों में बोर्ड के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी धारा 29 के तहत् पदधारी बोर्ड को दी गई है।
- प्रबंध समिति में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होता है।
- प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्षो के लिए होता है।

राकेश कुमार सिंह
सहायक निबंधक
सहयोग समितिया – सह –
राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी
आई०सी०डी०पी० कोषांग, राँची।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

दी धनबाद सेंट्रल
को-ऑपरेटिव बैंक लि0, धनबाद

"घर–घर का साथी–प्रगति में सहभागी"

एक झलक

- दि धनबाद सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि. की स्थापना वर्ष 1929 में हुई थी।
- बैंक को–ऑपरेटिव सोसाईटी एक्ट 1935 के अन्तर्गत पंजीकृत है। बैंक का निबंधन संख्या– 13 दिनांक 29.12.1929 है।
- बैंक को बैंकिग लाइसेस वर्ष 1995 में प्राप्त हुआ।
- बैंक का मुख्यालय धनबाद, झारखण्ड में अवस्थित है। वर्तमान में बैंक के धनबाद जिला में 9 शाखाएँ एवं बोकारो जिले में 3 शाखाएँ (चास प्रखण्ड अन्तर्गत चास शाखा एवं चन्दनकियारी प्रखण्ड अन्तर्गत चंदनकियारी शाखा) सेवा प्रदान कर रही है।
- बैंक का सी०बी०एस० वित्तीय वर्ष 2012–13 में हुआ एवं सभी शाखायें सी०बी०एस० पर कार्य कर रही है। बैंक अपने ग्राहकों को सभी प्रकार की वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करा रही है। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को अपने राशि जमा करने हेतु निम्न प्रकार के खाताओं की सुविधा उपलब्ध करा रही है :
  i) चालू खाता,
  ii) बचत खाता,
  iii) सावधि/आवर्ति खाता इत्यादि।
- उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक में स्वंय सहायता समूह, पैक्स के सदस्यों, संयुक्त देयता समुह, सहकारी साख समितियों, अन्य समितियों, तेजस्विनी समुह. प्रधानमंत्री जन–धन योजना आदि खाताओं का भी संचालन किया जा रहा है।

बैंक के वित्तीय आँकड़े 31.03.2021 को निम्न प्रकार है :

(आँकड़े लाख में)

Particulars	Amount (In Lakhs.)
Total Asset/Liabilities	44581.29
Net Profit	212.03
Total Deposits	34660.02
Total Advances	3135.87
NPA Gross	545.69
NPA Gross %	17.40%
NPA Net	Nil
NPA Net %	Nil
Accumulated Profit	2069.58
Paid up Capital	574.74
Reserves	1423.45
CRAR	51%
Investment in SLR Bonds	31679.31
Total Investments	34403.10

- बैंक में जमाकर्ताओं का जमा राशि DICGC के अन्तर्गत बीमित है।
- बैंक ग्राहकों को सेवा देने हेतु दैनिक जमा योजना की सुविधा उपलब्ध करा रही है जिसमें बैंक द्वारा नियुक्त अधिकृत अभिकर्ता द्वारा ग्राहकों के प्रतिष्ठान में जाकर राशि जमा ली जाती है।

- बैंक में सभी प्रकार के ऋण सुविधाएं उपलब्ध है। बैंक द्वारा व्यक्तिगत ऋण, कैश केडिट ऋण/ओवरड्राफ्ट, गृह ऋण, व्यवसायिक ऋण, किसान केडिट ऋण, मत्स्य केडिट कार्ड, व्यवसायिक वाहन ऋण, सहकारी साख समितियों को ऋण, स्वंय सहायता समूह (SHC) एवं संयुक्त देयता समुह (JLG) आदि को ऋण मुहैया कराया जा रहा है।
- बैंक के चार शाखायें यथा धनबाद, निरसा, तोपचांची, चास एवं बोकारो शाखा में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है।
- बैंक में वर्ष 2017 से ए0टी0एम0 की सुविधा प्रारंभ की गई। वित्तीय साक्षरता एवं क्षेत्र के लोंगो को घर पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के ध्येय से वर्ष 2018 में मोबाईल ए0टी0एम वैन का परिचालन प्रारम्भ किया गया।
- बैंक द्वारा सभी पंचायतों में बैंक सेवी की नियुक्ति की गई है तथा उनके द्वारा माइक्रो ए0टी0एम0 के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है।
- बैंक में अन्य सेवाएं निम्न प्रकार से है रू
  i) ECS ii) NEFT/RTGS iii) SMS Alert iv) CTS Clearing v) DBT vi) PFMS vii) PMSBY viii) PMJJY ix) PMFBY x) MMS इत्यादि।

अफ्रेम जार्ज कुजूर
प्रबंध निदेशक

दूरभाष : 0326-2312041 (धनबाद मुख्य कार्यालय)
0326-2312044 (धनबाद मुख्य कार्यालय)
फैक्स : 0326-2312047
Email : dhanbadbank@yahoo.in

आपके सेवा में सदैव तत्पर

सुरेश चौधरी
अध्यक्ष

प्रधान सम्पादक : श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : श्री जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : श्री राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, श्री कुमोद कुमार, स0 नि0, श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, स0 प्र0 पदा0
श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची द्वारा मुद्रित।

514_(1221) Anapurna Press and Process 6287999194 e-mail : appranchi.1969@gmail.com